**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को अदा किया गया मकान किराया भत्ता**

4194. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते की कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें मकान किराए भत्ते का भुगतान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उन्हें मकान उपलब्ध नहीं कराया जा सका है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) :** (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**महानगर टेलीफ़ोन निगम लिमिटेड, दिल्ली द्वारा सरकारी आवास का आवंटन**

4195. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन प्राथमिकता के आधार पर अपने उन कर्मचारियों को आवास आबंटित नहीं करता है जिन्हें सामान्य पूल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर आवास आवंटित किये गए थे और जो अब दिल्ली टेलीफोन के कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो/तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है और कितने मामलों को अस्वीकृत कर दिया गया था और किन किन कारण से ;

(ग) क्या ऐसे नियम हैं जिनके तहत पर उन्हें अस्वीकृत किया गया था अथवा अधिकारियों ने उन्हें मनमाने ढंग से अस्वीकृत कर दिया था, और

(घ) यदि मनमाने ढंग से अस्वीकृत किया गया था तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है और क्या सरकार इस सम्बन्ध में नियम बनाने का विचार रखती है ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) :** (क) जब कोई कर्मचारी दिल्ली टेलीफोन में कार्यभार ग्रहण करता है तो महानगर टेलीफोन निगम लिए पूल से उसे प्राथमिकता के आधार पर वैकल्पिक आवास आवंटित किया जाता है बशर्ते कि आवास उपलब्ध हों और वह पहले से सामान्य पूल के सरकारी क्वार्टर में नियमित रूप से रह रहा है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित इस प्रकार का कोई मामला रद्द नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

**डाक और दूरसंचार के कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण के लिए लक्ष्य**

4196. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण का कार्य असंतोषप्रद ढंग से किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो इस तरह बनाई गई स्कीम में पिछले 20 वर्षों के दौरान मकानों के निर्माण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ग) अब तक कितने मकानों का निर्माण किया जा चुका है ;

(घ) उन मकानों का ब्यौरा क्या है जिनका निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं किया जा सका है जबकि इन के लिए निर्माण योजना 10 वर्ष पहले बनाई गई थी ; और

(ङ) उक्त कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा अपने स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

**संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**Providing amenities to the Postmen**

4197. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that even though there is an immense growth of houses and offices in various areas in the city, the mileage allotted to each postman for delivery of dak and the beat continues to be the same since 1962;

(b) whether it is also a fact that with the enormous increase in the number of letters, parcels and articles sent by post, the postmen have often to carry heavy loads and he is not provided with cycle allowance if the route is less than 10 kms;

(c) if so, what steps have been taken by Government to revamp the system for efficient and quick delivery of mail besides providing suitable amenities to the postmen;

(d) whether Government have made any assessment of the working system and requirements in post offices in the metropolitan cities in the country; and

(e) if so, whether any strategy has been formulated to remove the deficiencies to provide efficient postal services?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) It is not correct that the mileage covered by each postman for delivery of dak continues to be the same since 1962. The quantum of delivery of dak and fixation of beats of postmen is now worked out on the basis of revised norms issued in the year, 1975 and as amended from time to time.

(b) No Sir. Postmen are entitled to cycle allowance of Rs. 20 P.M. if the distance covered is more than 16 k.m. per day. In case the weight of articles carried by a beat postman exceeds 10 kg., then coolie charges are also admissible at the prescribed rates.

(c) to (e) Due to economy orders, the posts are being sanctioned only in hard cases. In the year 1990, 151 posts of sorting postmen and 2359 posts of postmen were sanctioned as a result of a special review. Subsequently, some more posts were also sanctioned in a few select offices.

**Interception of Telephone Messages**

4198. SHRI S. MADHAVAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 4236 given in the Rajya Sabha on 18th August, 1992 and state:

(a) whether the requisition orders for interception of telephones preserved by the Department of Telecommunications contain the telephone number of Members of Parliament ;

(b) whether it is a fact that the authorised officers have to record in writing the reasons for intercepting the telephone as per section 5 of the Indian Telegraphs Act; and

(c) whether Government propose to direct the Department of Telecommunications not to allow the interception of MPs telephones without prior permission of the Central Government?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) Yes, Sir.